मन्दिर न्यास माता श्री ब्रजेश्वरी देवी जी "कांगड़ा" हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1/2012 से 12/2012

भाग—एक

1 प्रारम्भिकः—

(i) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग)(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (A)3—3/85—पार्ट—II दिनांक 17.1.1989 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार के मन्दिरों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, मन्दिर न्यास माता श्री ब्रजेश्वरी देवी जी "कांगड़ा" के अवधि 1/12 से 12/12 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ii) अंकेक्षणाधीन अवधि में मन्दिर न्यास में निम्नलिखित मन्दिर अधिकारी कार्यरत रहेः—

क्र0सं0	मन्दिर अधिकारी का नाम	तैनाती की अवधि
1	श्री पवन भोडयाल	1.1.12 से लगातार

(iii) अंकेक्षणाधीन अवधि 1/12 से 12/12 के अंकेक्षण में पाई गई अनियमितता का संक्षिप्त सारः—

क्र0सं0	अनियमितता का सार	पैरा सं0	राशि लाखों में
1	दुकानों/भवनों के किराए के रूप में का वसूली हेतु शेष पाया जाना	7	3.21
2	श्री देस राज (सेवादार) की सेवा पंजिका में 15 दिनों का अधिक अर्जित अवकाश दर्शाने बारे	13	विवरण पैरे मे दिया गया है
3	संविदाकार के बिलों से जल प्रभार की कटौती न करने के कारण संविदाकारों का अधिक भुगतान करने बारे	16	0.28

(iv) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित बकाया पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्रवाई की वर्तमान अंकेक्षण पर समीक्षा की गई। मन्दिर प्रशासन द्वारा समस्त बकाया अनिर्णीत पैरों पर समुचित कार्रवाई न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान अधिकांश पैरों का निपटारा नहीं करवाया जा सका। अतः परामर्श दिया जाता है कि शेष पुराने लम्बित पैरों पर भी शीध्र उचित कार्रवाई की जाए ताकि उनका निपटारा भी सम्भव हो सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाया पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** में दिया गया है।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

मन्दिर न्यास माता श्री ब्रजेश्वेरी देंवी जी कांगड़ा के अवधि 1/2012 से 12/12 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 20.5.13 से 15.6.13 के दौरान मन्दिर न्यास के कार्यालय परिसर में सम्पन्न किया गया। विस्तृत जांच हेतु माह चयनित किए गए।

चयनित मास (आय)	चयनित मास (व्यय)
3/12	11/12

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मन्दिर न्यास के लेखाओं का अंकेक्षण मन्दिर न्यास द्वारा प्रेषित सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत किसी भी अधूरी एवं अपूर्ण सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला—9 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

मन्दिर न्यास के अवधि 1/12 से 12/12 के वर्तमान लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क निम्नविवरणानुसार `17700/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु मन्दिर प्रशासन द्वारा ड्राफ्ट संख्या 739546 दिनांक 10.7.13 निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला—9 को प्रेषित कर दिया गया है।

पद नाम	दिन	दर	कुल राशि
अनुभाग अधिकारी	12	600	7200
आर्टिकल असैस्टैंट	21	500	10500
		कुल जोड़	**17700**

4 वित्तीय स्थितिः–

(i) अंकेक्षण अवधि 1/2012 से 12/2012 के दौरान मन्दिर न्यास माता श्री ब्रजश्वेरी देवी जी कांगड़ा की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही जिसका विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ **परिशिष्ट "क–1" व "क–2"** में भी दिया गया है।

प्रारम्भिक शेष	23253891.46
चढ़ावा	32863326.00
अन्य आय	11297590.39
ब्याज	3020419.84
योग	**70435227.69**
व्यय	34105100.50
अन्तशेष	**36330127.19**
नोटः– दिनांक 31.12.12 को रोकड़ वही के अनुसार अन्तिम शेष	36306315.47
गत अंकेक्षण प्रतिवेदन की वित्तीय स्थिति में अन्तर	(+)23811.72
योग	**36330127.19**

(ii) वित्तीय स्थिति में `23811.72 का अन्तरः–

वित्तीय स्थिति में `23811.72/–का अन्तर अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2005 से 12/2005 ले लगातार चला आ रहा है परन्तु इस अन्तर की राशि के मिलान के लिए मन्दिर प्रशासन द्वारा वर्तमान अंकेक्षण तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि उक्त अन्तर की राशि के लिए अविलम्ब उचित पग उठाए जाएं ताकि मन्दिर की वित्तीय स्थिति को सही रूप मे ंप्रस्तुत किया जा सके।

(iii) बैंक समाधान विवरणिकाः–

दिनांक 31.12.12 रोकड़ वही अनुसार	**36306315.47**

जमाः– चैक जारी किए गए परन्तु 31.12.12 तक भुनाए नहीं गए

दिनांक	चैक सं0	फर्म का नाम	राशि	
13.12.12	640005	अजीत समाचार	9904	
13.12.12	640004	सम्पादक पंजाब केसरी	9600	
17.12.12	640053	सुलभ इन्ट्रनेशनल चण्डीगढ़	88666	
20.12.12	640054	सनटच कम्पयूटर	1850	
24.12.12	640069	यूथ फॉर सशटेनल शिमला	15000	
27.12.12	640061	के0डी0 टैंट हाऊस	21600	
24.12.12	640073	हिमालय हवीन पालमपुर	10000	
27.12.12	640083	भारत विकास परिषद नगरोटा	5500	
27.12.12	640060	वर्मा इंजीनियरिंग	5200	
29.12.12	640087	श्री रितेश कुमार	21817	
23.12.12	640071	हिमाचल प्रदेश यूर्निवर्सिटी	8000	(+) 197137

माईनसः– चैक प्राप्त किए परन्तु 31.12.12 तक बैंक में जमा नहीं हुए

दिनांक	चैक सं0	फर्म का नाम	राशि	
21.12.12	402023	यात्री सदन	67156	(–)67156

बैंक खातों के अनुसार अन्तशेष	**36436296.47**

दिनांक 31.12.12 को बैंक में जमा राशि विवरणः–

क्र0सं0	खाता सं0 व बैंक का नाम	राशि
1	88070100033743 (हिमाचल ग्रामीण बैंक)	1012802.09
2	2001381 (कांगड़ा सैन्ट्रल बैंक)	2392.00
3	2004389 (बैंक ऑफ बढ़ौदा)	11254.00
4	10551097067 (स्टेट बैंक आूफ इंडिया)	16199.04
5	89012140000023 (सिडीकेट बैंक)	46845.00
6	08041450000088 एच0डी0एफ0सी0	19501.34

7	सावधि जमा योजना निवेशित राशि	35327303.00
	योग	**36436296.47**

5 सावधि जमा योजना में निवेशित राशिः–

मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "ख"** के अनुसार 31.12.11 को ₹35327303/– सावधि जमा के रूप में विभिन्न बैंकों में निवेशित थी जिसे निर्धारित तिथियों पर खातों में भुनाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा अपेक्षित राशियों का पुर्निनिवेश किया जाए ताकि सावधि जमा की स्थिति में अधिक ब्याज अर्जित किया जा सके।

6 सोने तथा चांदी की स्थितिः–

अंकेक्षण अवधि 1/2012 से 12/2012 के दौरान सोने तथा चांदी की स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

(क) सोनाः–

विवरण	कि0ग्रा0	ग्राम	मिलिग्राम
प्रारम्भिक शेष	29	502	125
वर्ष 2012 में प्राप्ति	–	818	050
योग	**30**	**320**	**175**

(ख) दिनांक 31.12.12 को सोने की जमा का विवरणः–

विवरण	कि0ग्रा0	ग्राम	मि0ग्राम	टिप्पणी
गोल्ड ब्राण्ड में जमा	13	256	820	(सोने की वित्तीय स्थिति के
देवी देवताओं पर	2	785	140	अनुसार जितनी मात्रा होनी
चेस्ट में जमा	14	278	215	चाहिए)
कुल योग	**30**	**320**	**175**	

(ग) सोने के अन्तशेष में 02 कि0ग्रा0 485ग्राम तथा 10 मि0ग्रा0 का अन्तरः–

	कि0ग्रा0	ग्राम	मि0ग्राम
दिनांक 31.12.12 को स्टॉक में जितना सोना होना चाहिए था	30	320	175
दिनांक 31.12.12 को स्टॉक में जितना सोना था	27	535	165
अन्तर	(–) 2	785	010

उपरोक्त अन्तर 02 कि0ग्रा0 785 ग्राम तथा 010 मि0ग्रा0 निम्नलिखित कारणों से था।

(i) गोल्ड बांड हेतु स्टॉक से निकाले गए सोने तथा बैंक द्वारा प्राप्त सोने में अन्तरः–

	कि	ग्रा0	मि0ग्रा0
02.05.02 को गोल्ड बान्ड हेतु स्टॉक से निकाला गया सोना	13	256	820
दिनांक 3.05.02 को बैंक द्वारा प्राप्त सोना	12	348	380
अन्तर (–)	00	908	440

अतः यह स्पष्ट किया जाए कि किन कारणों से बैंक द्वारा 908 ग्राम 440मि0ग्रा0 सोना कम प्राप्त किया गया

(ii) बैंक द्वारा गोल्ड बांड हेतु प्राप्त सोने तथा बैंक द्वारा जारी शुद्ध सोने के बांड में अन्तरः–

	कि	ग्रा0	मि0ग्रा0
उक्त (i) के अनुसार दिनांक 3.05.02 को बैंक द्वारा प्राप्त सोना	12	348	380
बैंक द्वारा जारी सोने का ब्रांड	10	471	810
अन्तर (–)	1	876	570

इस प्रकार बैंक द्वारा 1 किलो 876 ग्राम 570 मि0ग्रा0 की कम मात्रा के शुद्ध सोने के बान्ड जारी किए गए परन्तु सोने की शुद्धीकरण के कारण निकली/प्राप्त अशुद्ध धातुओं का ब्यौरा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में शुद्ध सोने के बान्ड की सत्यता की पुष्टि नही की जा सकी। अतः 1 कि0 876ग्रा0 570मि0ग्राम सोने की कमी का पूर्ण ब्यौरा आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बान्ड की पुष्टि की जा सके।

नोटः– उपरोक्त (i) तथा (ii) में वर्णित सोने की मात्रा के अन्तर को गत वर्षों से अंकेक्षण प्रतिवेदनों में वर्णित किया जा रहा है परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा इसके मिलान के लिए कोई

कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः उक्त अन्तरों की मन्दिर न्यास स्तर समीक्षा करके अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाय जाए।

(घ) चांदीः—

विवरण	**कि0ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0ग्रा0**
प्रारम्भिक शेष	1038	506	480
वर्ष 2012 में प्राप्ति	61	808	010
योग	**1100**	**314**	**490**

(ङ) दिनांक 31.12.12 का चांदी को जमा विवरणीः—

विवरण	**कि0ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0ग्रा0**
देवी देवताओं व भोग बर्तन में	72	361	590
चेस्ट में जमा	484	356	900
गर्भगृह को जारी	543	596	000
योग	**1100**	**314**	**490**

7 दुकानों/भवनों के किराए के रूप में `320892/— का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

मन्दिर न्यास के किराए के मांग व प्राप्ति रजिस्टर की जांच उपरान्त पाया गया कि दिनांक 31.12.12 तक मन्दिर न्यास के भवनों अर्थात दुकानों/मकानों के किराएदारों से `320892/— वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	किराएदार का नाम	दुकान/मकान	31.12.12 तक वसूली योग्य राशि
1	श्री बलदेव कुमार	दुकान	9664
2	श्री सुशील कुमार	दुकान	42723
3	श्री कुलजीत सिंह	दुकान	20267
4	श्री रमन ऋषि	दुकान	32716
5	श्री धर्मेन्द्र कुमार	दुकान	5500
6	क्षेत्रीय प्रबन्धक एच0पी0 एम0सी0	खोखा लैण्ड	1120
7	श्री रमन ऋषि	दुकान	38095
8	श्री के0डी0 शर्मा	यात्री सदन	134312
9	श्री प्रकाश चन्द	दुकान	600
10	श्री महेश चन्द	दुकान	5700
11	श्री भूषण दत्त	दुकान	1800
12	श्री कैलाश चन्द	दुकान	1800
13	श्री पदम चन्द	दुकान	3600
14	श्री प्रदीप कुमार	दुकान	2500
15	श्री सम्बेद कुमार	दुकान	600
16	श्री खुशी राम बैली राम	दुकान	6
17	श्री खुशी राम सोहन लाल	मकान	3
18	श्री बलवीर सिंह	मकान	1357
19	श्रीमती केसरी देवी	मकान	4050
20	श्री जगदीश चन्द	मकान	94
21	श्री गोपाल दास	मकान	4225
22	श्री कुलदीप सैन	मकान	1350
23	श्री राम नारायण	दुकान	810
24	श्री अशोक कुमार	दुकान	8000
		कुल जोड़	**₹320892**

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा दुकानों/मकानों के किराएदारों के साथ किसी प्रकार के अनुबन्ध (Aggreements) नहीं किए गए है जोकि उचित प्रतीत नहीं होते है। इस सन्दर्भ में मन्दिर अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 01 दिनांक 23.5.13 द्वारा अवगत करवाया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि किराएदारों से शीध्र अतिशीध्र शेष किराये के वसूली के अतिरिक्त उनके साथ अनुबन्ध (Aggreements) करने हेतु ठोस कदम उठाए जाएं व अनुपालना से आगामी आडिट को अवगत करवाया जाए।

8 दैनिक रजिस्टर में रसीदों की संख्या गलत अंकित करने पर `400/– कम जमा करने बारे तथा गलत योग के कारण पुस्तकालय निधि में `32/– तथा गोल्क गल्ला रजिस्टर में `10/– कम जमा करने बारेः–

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि लंगर रजिस्टर के पेज नं0 70 के अनुसार दिनांक 31.3.12 को क्रम संख्या 28336 से 28379 की `50/–की रसीदें जारी की गई। इन रसीदों की कुल संख्या 44 बनती है जिसकी `2200/– जमा की जानी अपेक्षित थी परन्तु उक्त रजिस्टर में रसीदों की संख्या 36 दर्शाकर तथा दैनिक रजिस्टर `1800 दर्शाकर उक्त राशि रोकड़ वही में जमा की गई। इस प्रकार `400/– कम जमा की गई। आडिट द्वारा आपत्ति उठाने पर `400/– सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करके रसीद संख्या 11065 दिनांक 22.5.13 द्वारा जमा करवा दी गए व जमा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियॉ न दोहराई जाए।

(ख) पुस्तकालय रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार `32/– कम जमा की गई। अतः `32/– की वसूली करके मन्दिर निधि में जमा की जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

रजिस्टर पना सं0	दिनांक	वास्तविक योग	गलत योग	अन्तर
47	29.2.12	2766	2760	6
52	9.3.12	585	583	2

55	11.3.12	1135	1111	24
			योग	**32**

(ग) दैनिक गोल्क रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 15.3.12 को गल्ला नं0 3 की गोल्क का योग `192250/– बनता था जबकि गलती से इसे `192240/– दर्शाया गया। इस प्रकार `10/– कम जमा की गई। अतः `10/– की वसूली करके मन्दिर निधि में जमा की जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

9 मन्दिर न्यास के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दीपावली पर ड्राई फ्रूट की ट्रे तथा बैड शीटस इत्यादि वितरित करने बारेः–

(क) मन्दिर न्यास द्वारा वाउचर संख्या 87 दिनांक 22.11.12 के अन्तर्गत मै0 ए0 वन बेकर्स कांगड़ा से उनके बिल संख्या 2201 दिनांक 13.11.12 द्वारा निम्नविवरणानुसार `23625/–की 83 ड्राई फ्रूट ट्रे खरीदी गई। यह ड्राई फ्रूट ट्रे दीवाली पर मन्दिर के कर्मचारियों व अधिकारियों को बांटने हेतु खरीदी गई परन्तु उक्त ट्रे किन–2 कर्मचारियों व अधिकारियों में वितरित की गई का अभिलेख/सूचि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में 83 ट्रे के वितरण की सत्यता की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित अभिलेख/सूचि प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित अभिलेंख सहित अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ड्राई फ्रूट की ट्रे के लिए नहीं थी अपितु केवल मिठाई खरीदने हेतु थी अतः मिठाई के स्थान पर ड्राई फ्रूट ट्रे खरीदने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास द्वारा वाउचर संख्या 101 दिनांक 26.11.12 के अन्तर्गत मै0 शर्मा हेन्डलूम कांगड़ा से उनके बिल संख्या 82 दिनांक 11.11.12 द्वारा निम्न विवरणानुसार `18215/–51 बैड शीट मन्दिर न्यास के अधिकारियों/कर्मचारियों को दीपावली पर बांटने हेतु खरीदी गई।

47 बैड शीट @345	16215

4 बैड शीट @500	2000
योग	**18215**

उक्त 51 बैड शीटे किन–2 अधिकारियों व कर्मचारियों में वितरित की गई इसकी सूचि/अभिलेख भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में 51 बैड शीटों के वितरण की सत्यता व जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित अभिलेख सहित अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त इस खरीद हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के सामान क्रय करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए व इस अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

10 बिना निविदाएं आमन्त्रित किए `8400/–की लेमिनेटिड फोटो की खरीद करने बारे तथा ट्रंक की खरीद पर `700/– का अनियमित खर्च करने बारेः–

(क) मन्दिर न्यास द्वारा वाउचर संख्या 62 दिनांक 20.11.12 के अन्तर्गत मै0 धौलाधार स्टूडियो कांगड़ा से उनके बिल संख्या 4409 दिनांक 29.10.12 द्वारा 300 लेमिनेटिड फोटो `28 प्रति फोटो की दर से `8400/– की बिना कुटेशन के आधार पर खरीदी जोकि अनियमित है। अतः बिना कुटेशन के खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास द्वारा वाउचर संख्या 67 दिनांक 21.11.12 के अन्तर्गत मै0 जय ट्रंक हाउस कांगड़ा से उनके बिल संख्या 1192 दिनांक 2.11.92 द्वारा `700/– का एक ट्रंक खरीदा गया परन्तु स्टॉक रजिस्टर संख्या II पेज 163 की जांच करने पर पाया गया कि उस ट्रंक को होम गार्ड को जारी किया गया है जो कि इस निधि पर वैध प्रभार नहीं है। अतः उक्त अनियमित व्यय की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने उपरान्त नियमित करवाया जाए।

11 स्टॉक रजिस्टर में दवाई की खरीद व खपत का ब्यौरा न दिए जाने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा नवरात्र मेलो के लिए निम्नविवरणानुसार दवाईयां खरीदी गई। अंकेक्षण द्वारा जांच में पाया गया कि दवाईयों की स्टॉक प्रविष्टियॉ पेज 39 से 41 पर की गई है परन्तु खरीदी गई दवाईयों की खपत व अन्तशेष का ब्यौरा स्टॉक रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया है जोकि अनियमित है। उक्त के अभाव में अंकेक्षण द्वारा दवाईयों की खपत की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। अतः दवाईयों की खपत व अन्तशेष न दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

वा0सं0 / माह	**फर्म का नाम**	**बिल सं0 / दिनांक**	**राशि**
68 11 / 12	राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	21967 से 21969 / 17.10.12	10000
71 11 / 12	मै0 पितम्बर मेडिकल स्टोर कांगड़ा	2775 / 20.10.12	1994
		योग	**11994**

12 हवन सामग्री की खरीद पर `2111 / – का अधिक भुगतान बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा वाउचर संख्या 86 दिनांक 22.11.12 के अन्तर्गत मै0 अशोक कुमार सन्ज कांगड़ा से उनके बिल संख्या 201 दिनांक 26.10.12 द्वारा `14406 / – की हवन सामग्री खरीदी गई। जांच में पाया गया कि कुटेशनों के अनुसार बिल का कुल जोड़ `12295 / –बनता था जबकि मन्दिर न्यास द्वारा उक्त फर्म को `14406 / – का भुगतान किया गया। इस प्रकार मन्दिर न्यास द्वारा उक्त फर्म को `2111 / – का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट करते हुए `2111 / – की वसूली उचित स्त्रोत से करके मन्दिर निधि में जमा की जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

13 श्री देस राज (सेवादार) की सेवा पंजिका में 15 दिनों का अधिक अर्जिज अवकाश दर्शाने बारेः–

श्री देस राज (सेवादार) की सेवा पंजिका की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31. 12.11 को उक्त कर्मचारी के खाते में 98 दिनों का अर्जित अवकाश शेष था व वर्ष 2012 के देय

15 दिनों के अवकाश को जोड़ने पर दिनांक 31.12.12 को 113 बनते थे क्योंकि नियमानुसार मन्दिर कर्मचारियों के खाते में वर्ष में 15 दिन अर्जित अवकाश जमा किए जाते है। इसके विपरीत मन्दिर न्यास द्वारा उक्त कर्मचारी के खाते 31.12.12 को 128 दिनों अर्जित अवकाश शेष दर्शाया गया है। अतः उक्त कर्मचारी के अवकाश के खातों को ठीक करके उनके खाते में 31.12.12 को 113 दिन अर्जित अवकाश दर्शाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

14 कार्य का नामः– C/O Dispensry & Shoes Room

संविदाकार का नामः– विवेक कुमार

अवार्ड पत्र संख्याः–115 दिनांक 4.7.11

अनुमानित राशिः–915000/–

प्रीमियमः–1.84 Above HP SR2009

माप पुस्तिकाः–77 पेज 43

कार्य का नामः–C/O Temple Information Centre

संविदाकार का नामः– संजीव कुमार

अवार्ड सं0ः–119 दिनांक 4.7.11

अनुमानित राशिः–468600

प्रीमियमः–18.32 above HPSR 2009

माप पुस्तिका 77 पेज 31

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निर्माण कार्यों को अवार्ड करने से पूर्व Justification नहीं बनाई गई है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि Justification के बिना यह पता लगाना सम्भव नहीं है कि जो दरे संविदाकार को दी गई वह न्यायोचित है अथवा नहीं। अतः Justification न बनाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि उक्त कार्य (i) C/O Dispensry & Shoes

Room को HPSR 2009 पर 1.84 प्रीमियम पर तथा कार्य (ii) C/O Temple Information Centre को HPSR 2009 पर 18.32 प्रीमियम पर आंबटित किया गया। इस सन्दर्भ में यह वर्णित किया जाता है कि जब दोनों निर्माण कार्यों की दूरी व आंबटित समय एक सामान था तो क्रम संख्या (i) के कार्य को HPSR 2009 पर 1.84 अधिक दर पर तथा क्रम संख्या (ii) के कार्य को HPSR 2009 पर 18.32 अधिक दर पर आंबटित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान C/O Temple Information Centre के निर्माण कार्य की माप पुस्तिका नं0 77 पेज 29 में वर्णित अतिरिक्त मद (P/F Wire Gauge Shutter) की जांच करने पर पाया गया कि ठेकेदार को उक्त मद के लिए 4.90 की दर से `2404.50 के स्थान पर `2723/– की दर से भुगतान करके कुल `1561/– का अधिक भुगतान किया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर `1561/– की वसूली करके रसीद संख्या 11106 दिनांक 5.06.13 द्वारा अंकेक्षण के दौरान जमा करवा दी गई है जिसकी जमा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः आडिट द्वारा यह परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियां न दोहराई जाए।

15 **कार्य का नामः– P/1o/ 2 No. High Mask Light at Tehseel Chowk & Bye Pass Chowk-(16 mm&25mm)**

संविदाकार का नामः–मै0 भारत इलेक्ट्रीकल वर्कस होशियारपुर

अवार्ड पत्र संख्याः–BDT-536 दिनांक 8.5.12

निर्धारित लागतः–`679200

माप पुस्तिका 76 पेज 75

उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका की जांच करने पर पाया गया कि संविदाकार द्वारा दिनांक 28.5.12 को निर्माण कार्य आरम्भ किया व अनुबन्ध की शर्तों अनुसार संविदाकार द्वारा उक्त कार्य 2 महीने के भीतर अर्थात 29.7.12 तक समाप्त करना अपेक्षित था जबकि संविदाकार द्वारा उक्त निर्माण कार्य दिनांक 16.10.12 को समाप्त किया गया। इस सम्बन्ध में ठेकेदार द्वारा समय अवधि बढ़ाने के लिए भी मन्दिर प्रशासन से कोई अनुरोध नहीं किया गया। अतः इस प्रकरण में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार के बिल से कुल लागत `679200/– पर 10**%** की दर से `67900/– की कटौती करनी अपेक्षित थी जोकि मन्दिर

प्रशासन द्वारा नहीं की गई। अतः `67920/– को बिल में से न काटने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त `67920/–की वसूली उचित स्त्रोत से करके मन्दिर निधि में जमा की जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

16 संविदाकार के बिलों से जल प्रभार की कटौती न करने के कारण संविदाकारों का `27801/– का अधिक भुगतान करने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों में से जल प्रभार की कटौती नहीं की गई है। माप पुस्तिका तथा अन्य अभिलेखों में संविदाकार द्वारा जल को क्रय करने व निर्माण कार्यों में प्रयोग करने सम्बन्धी कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था जिससे यह प्रतीत होता है कि ठेकेदारों द्वारा जल के लिए किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया अपितु जल का प्रयोग मन्दिर न्यास के स्त्रोतों से निःशुल्क किया गया है। निशुल्क जल प्रयोग करने पर कार्य की कुल लागत (Gross Bill) पर 1.5**%** की दर से जल प्रभार की कटौती की जानी अपेक्षित थी जोकि नहीं की गई। अतः नियमानुसार जल प्रभार की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा `27801/– की वसूली उचित स्त्रोतों से की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	माप पुस्तिका पेज नं0	कुल बिल राशि	जल प्रभार
1	C/O Security Guard Residence	श्री विवेक कुमार	77/43	407082	6107
2	C/O Temple information centre	श्री संजीव कुमार	77/31	521813	7827
3	C/O Dispencry & Shoes room	श्री विवेक कुमार	77/18	924462	13867
				कुल राशि	**27801**

17 लधु आपत्ति विवरणिकाः– यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

18 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :—फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)192/97 खण्ड—5—7916—7920 दिनांक

03.12.2013 , शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित है :—

पंजीकृतः—1. मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास की माता बज्रेश्वरी देवी जी, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करने सुनिश्चित करे।

2 उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हि0प्र0 शिमला—9

4. अवर सचिव (भाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—2

5. श्री मुकेश कुमार स्नेही अनुभाग अधिकारी द्वारा...................

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "A" पैरा संख्या–1(iv)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4.11.86 से 31.12.98

1	पैरा–3 (क) (1 से 48)	अनिर्णीत	(मुख्य रोकड़ वही में जमा/घटाने बारे)
2	पैरा–3 (ख) (1 से 5)	अनिर्णीत	
3	पैरा–3 (ii) (क ख)	अनिर्णीत	(सोना चांदी के विवरण बारे)
4	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा–5 (iii) ख	अनिर्णीत	
6	पैरा–5 (iv)	अनिर्णीत	
7	पैरा–5 (v) ख	अनिर्णीत	
8	पैरा–5 (vi)	अनिर्णीत	(दान दिए गए सामान का स्टॉक रजिस्टर न बनाने बारे)
9	पैरा–5 (ix)	अनिर्णीत	
10	पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत	(अग्रिम ₹68800/– के समायोजन का रिकार्ड न दिखाना)
11	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत	(–यथोपरि–)
12	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत	(बेची गई चांदी 36.800 ग्राम की रसीद न दिखाना)
13	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत	(चांदी को कम दर्शाया जाना)
14	पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत	(जारी की गई चांदी के बने सामान की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में न करना)
15	पैरा–7 (ङ)	अनिर्णीत	(नीलामी रजिस्टर व स्टॉक रजिस्टर में चांदी की मात्रा में भिन्नता)
16	पैरा–7 (च)	अनिर्णीत	(चांदी की सिलिया बनाने उपरान्त वजन में कमी को न सत्यापित करने बारे)
17	पैरा–7 (छ)	अनिर्णीत	(चांदी की नीलामी बारे)
18	पैरा–7 (ज)	अनिर्णीत	(मूर्तियां बनाने के लिए जारी किए गए सोने की रसीद न दिखाने बारे)

19	पैरा–7 (झ)	अनिर्णीत	(चार्ज देते समय सोने की गिनती/स्टॉक को न लिया जाना)
20	पैरा–8 (क) (i) (क से झ)	अनिर्णीत	(मुख्य रोकड़ वही व बैंक समाधान विवरणी में अन्तर)
21	पैरा–8 (क) (ii से vii)	अनिर्णीत	(रोकड़ वही व बैंक खातों से निकाली गई राशियों में अन्तर)
22	पैरा–8 (ख) (i से v)	अनिर्णीत	(लंगर रोकड़ वही व बैंक समाधान विवरणी में अन्तर)
23	पैरा–10 (क, ख)	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली गई है)
24	पैरा–11 (i)	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली गई है)
25	पैरा–11 (iii) क	निर्णीत	(निर्माण कार्य का पूरा न किया जाना कार्यवाही देख ली गई है)
26	पैरा–11 (iii) ख	निर्णीत	(निर्माण कार्य हेतु खरीदे गए सामान का रिकार्ड न प्रस्तुत करने बारे कार्यवाही देख ली है)
27	पैरा–13 (क) (i) ए, बी	अनिर्णीत	
28	पैरा–13 (क) (ii) ए, बी	अनिर्णीत	(भुगतान से सम्बन्धित बिल न दिखाने बारे)
29	पैरा–13 (क) (iv, v)	अनिर्णीत	
30	पैरा–13 (क) (xi)	अनिर्णीत	
31	पैरा–13 (ख) (v)	अनिर्णीत	(₹4595 के क्रय किए गए सामान का अभिलेख न दिखाने बारे)
32	पैरा–13 (ख) (vi)	निर्णीत	(बिल/वाउचर देख लिया गया है)
33	पैरा–13 (ख) (ix)	अनिर्णीत	(₹44150/–के क्रय किए गए सामान का अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे)
34	पैरा–13 (ख) (x) (ए, बी)	अनिर्णीत	(₹7779/– के पुराने नोटों को बदलने के लिए कमीशन देने बारे)
35	पैरा–13 (ख) (xi)	अनिर्णीत	(₹30000/–के भुगतान का अभिलेख प्रस्तुत न करना)

36	पैरा–14 (ख) (iii)	अनिर्णीत	(रसीद बुकों से प्राप्त आय व रसीद बुक न दिखाने बारे)
37	पैरा–14 (ख) (iv)	अनिर्णीत	(₹21000/–के चैक को रोकड़ वही में न दर्ज करने बारे)
38	पैरा–14 (vi)(ङ)	अनिर्णीत	(₹12900/– कम किराए की वसूली बारे)
39	पैरा–14 (viii)	आंशिक निर्णीत	
40	पैरा–14 (xiv)	अनिर्णीत	
41	पैरा–14 (xvii) (क से च)	अनिर्णीत	
42	पैरा–14 (xviii)	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/99 से 12/99

1	पैरा–4 (क)	अनिर्णीत	(₹164486.77 की वित्तीय स्थिति में अन्तर)
2	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत	(₹22081.80 की वित्तीय स्थिति में अन्तर)
3	पैरा–45(ग)	आंशिक निर्णीत	(मै0 कटारिया बिल्डर पठानकोट द्वारा चैक संख्या 1191862 दिनांक 8.2.09 में जमा ₹28000/– देख ली है)
4	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	(ठेकेदारों के बिलों में से आयकर व बिक्री कर न काटने बारे)
5	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत	(वाऊचरों को प्रस्तुत न करना)
6	पैरा–12 (क)	अनिर्णीत	(₹100000/– का कार्य बिना औपचारिकताएं पूर्ण करके करवाने बारे)
7	पैरा–14	अनिर्णीत	(रसीद बुकों का प्रस्तुत न किया जाना)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2000 से 12/2000

1	पैरा–4 (क)	अनिर्णीत	(मुख्य रोकड़ वही की वित्तीय स्थिति में ₹26485.23 के अन्तर बारे)
2	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत	(लंगर रोकड़ वही में वित्तीय स्थिति में ₹22427/– के अन्तर बारे)
3	पैरा–6 (3)	आंशिक निर्णीत	(श्री अश्वनी कुमार से ₹16500/– दुकान किराए की वसूली बारे)
4	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत	(₹7356/– का मन्दिर अधिकारी को अनुचित प्रतिनियुक्ति भत्ते के भुगतान बारे)
5	पैरा–10	अनिर्णीत	(500 ग्राम चांदी का स्टॉक रजिस्टर में न लिया जाना)
6	पैरा–11 (क, ख)	आंशिक निर्णीत	(शेष अग्रिम राशियों के समायोजन हेतु तुरन्त उचित कार्यवाही अपेक्षित है)
7	पैरा–13	अनिर्णीत	(यात्री सदन के किराए की ₹1340/– की कम वसूली बारे)
8	पैरा–14	अनिर्णीत	(वास्तविक रसीदों को न प्रस्तुत करना)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2001 से 12/2002

1	पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत	(वित्तीय स्थिति में अन्तर बारे)
2	पैरा–5 (क से ग)	अनिर्णीत	(निवेशित करने के लिए कम सोना देने बारे)
3	पैरा–6 (क)	निर्णीत	(₹75/– की वसूली रसीद संख्या 004850 दिनांक 26.11.09 द्वारा कर ली है)
4	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा–6 (ग)	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली है)
6	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत	
7	पैरा–6 (ङ)	निर्णीत	(डेवियेशन स्टेटमैन्ट व कार्यवाही देख ली है)
8	पैरा–6 (च)	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली है)

9	पैरा–7 (1, 2)	अनिर्णीत	(₹4175/– के निर्माण कार्य बारे)
10	पैरा–8 (क व ङ)	अनिर्णीत	
11	पैरा–9 (ख)	निर्णीत	(माप पुस्तिका 57 पेज 85 पर आयकर काटा है)
12	पैरा–9 (क से ग)	अनिर्णीत	(ठेकेदारों के बिलों से आयकर बिक्री कर न काटने बारे)
13	पैरा–10	अनिर्णीत	(ठेकेदारों से ₹11573/– आर्थिक दण्ड के रूप में न काटने बारे)
14	पैरा–11	अनिर्णीत	(निर्माण कार्य का माप पुस्तिका में दर्ज न करना)
15	पैरा–12 (क, ख)	निर्णीत	(निर्माण कार्य को दिए गए अग्रिमों से सम्बन्धित रिकार्ड कार्रवाई देख ली है)
16	पैरा–13 (क से ग)	अनिर्णीत	(रोकड़ वही सत्यापित न करवाने बारे)
17	पैरा–14	अनिर्णीत	(प्रतिनियुक्ति भत्तों की ₹14700/– की अनुचित अदायगी बारे)
18	पैरा–17	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली है)
19	पैरा–23 (क से ख)	अनिर्णीत	(खरीदे गए सामान की स्वच्छ प्रविष्टियां न करने बारे)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2003 से 12/2004

1	पैरा–17	निर्णीत	(सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व कार्यवाही देख ली है)
2	पैरा–20 (क, ख)	अनिर्णीत	(वेंतन व यात्रा भत्ता के भुगतान बारे)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2005 से 12/2005

1	पैरा–14	अनिर्णीत (उपयोगिता प्रमाण पत्र बारे)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2006 से 12/2007

1	पैरा–19	आंशिक निर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2008 से 12/2009

1	पैरा–4	अनिर्णीत	(वित्तीय स्थिति में अन्तर)
2	पैरा–6 (क) (1 , 2)	अनिर्णीत	(सोने में अन्तर)
3	पैरा–11	निर्णीत	(₹5700/– की एस0डी0एम0 द्वारा प्राप्त स्वीकृति व कार्यवाही देख ली है)
4	पैरा–22	निर्णीत	(सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व कार्यवाही देख ली है)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2010 से 12/2010

1	पैरा–4	अनिर्णीत	(वित्तीय स्थिति में अन्तर)
2	पैरा–6 (क) (1, 2)	अनिर्णीत	(सोने में अन्तर)
3	पैरा–9	अनिर्णीत	(वेतन के रूप में ₹59883/– के अधिक भुगतान बारे)
4	पैरा–10	अनिर्णीत	(₹790626/– की अनाधिकृत सुविधा देने बारे)
5	पैरा–11	अनिर्णीत	(निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनियमितताएं)
6	पैरा–18	अनिर्णीत	(सैन्ट्रल पूल हेतु ₹3 लाख जारी करने बारे)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2011 से 12/2011

1	पैरा–4 (क से ङ)	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति में अन्तर. – नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दी गई है)
2	पैरा–6 (क) (i से iii)	निर्णीत	(सोने में अन्तर – नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दी गई है)
3	पैरा–6 (ख)	निर्णीत	(चांदी में अन्तर – नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दी गई है)
4	पैरा–7	निर्णीत	(इस पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दी गई है)
5	पैरा–8 (क)	निर्णीत	(₹700 की वसूली रसीद संख्या 11105 दिनांक 5.6.13 द्वारा कर ली गई है)
6	पैरा–8 (ख)	स्वतः निर्णीत	
7	पैरा–9 (क)	निर्णीत	(स्टॉक प्रविष्टि पेज 57 व 25 पर देख ली है)
8	पैरा–9 (ख)	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली है)
9	पैरा–9 (ग)	स्वतः निर्णीत	
10	पैरा–10 (क, ख, ग व ङ)	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली है)
11	पैरा–10 (घ)	निर्णीत	(₹1591/– की वसूली रसीद संख्या 11104 दिनांक 5.6.13 द्वारा कर ली गई है)
12	पैरा–11	निर्णीत	(₹5700/–की वसूली 11102 रसीद संख्या दिनांक 5.6.13 द्वारा कर ली गई है)

13	पैरा–12	निर्णीत	(₹954 की वसूली रसीद संख्या 11103 दिनांक 5.6.13 द्वारा कर ली गई है)
14	पैरा–13	निर्णीत	(गौ सदन को गौ रक्षक परिषद नगरोटा बगवां को संचालन हेतु दिया गया है)
15	पैरा–14	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली गई है)
16	पैरा–15	अनिर्णीत	(सैन्ट्रल पूल हेतु 3.5 लाख जारी करने बारे)

दिनांक 31.12.2010 तक अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	106
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	30
अन्तशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2011 से 12/2011 तक अनिर्णीत पैरे	76